



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 1991/फाल्गुन 28, 1912
No. 101] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 1991/PHALGUNA 28, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation**

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1991

सा. का. नि. 152(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा (11) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री मनोहर जी. कोतवाल और

श्री एम. के. अश्वनी को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में "श्रमिक हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. न्यासी के रूप में श्री मनोहर जी. कोतवाल और श्री एम. के. अश्वनी का कार्य-काल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फाइल सं. पीटी-18011-4/89-प. टी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi the 19th March, 1991

G.S.R. 152(E).—In exercise of powers conferred by Sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts, 1963 (38 of 1963) read with section 11 of the said Act, the Central Government hereby appoints Shri Manohar G. Kotwal and Shri M. K. Aswani representing 'Labour Interests' on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

2. The term of office of Shri Manohar G. Kotwal and Shri M. K. Aswani as a Trustee will be regulated as per provisions of Section 7 (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

[F. No. PT-18011-4/89-PT]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.